न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 39/2016

अपीलांट

1. होकीया पुत्र भोमा
2. मोवनिया पुत्र भोमा जाति भील साकिन उनडी तहसील सायला

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मंछाराम गोदपुत्र पूनमा
2. सुगरी पुत्री पूनमा
3. सुकी पुत्री पूनमा
4. लवगी पुत्री पूनमा
5. छतरीया पुत्र बादरा
6. शंकरीया पुत्र बादरा फौत के कायम मुका
   - 6/1 जोशी पुत्र शंकरीया
   - 6/2 वसना पुत्र शंकरीया
   - 6/3 धुकी पत्नी शंकरीया
7. प्रेमा पुत्र राणीया
8. वजीया पुत्र राणीया
9. धुसा पुत्र राणीया
10. शांति बेवा राणीया तमाम जातियान भील, साकिन उनडी
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सायला

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री चुन्नीलाल पुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री तेजसिंह बालावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 05 एवं 07

शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजपैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः 30/9/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सायला द्वारा प्रकरण संख्या 34/2015 बउनवान होकीया बनाम मंछाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04, 6/1 से 6/3 एवं 08 से 11 बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अत उक्त पक्षकारान के हद तक गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया, जो मुकदमा शहादत वादी में चल रहा था एवं अपीलांट द्वारा गवाह भी पेश कर दिये थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जिस पर अपीलांट ने एक आवेदन वाद को रेस्टोर करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायायल ने बिना अपीलांट को कोई नोटिस दिये पेशी दिनांक 29.06.2016 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में रखकर जैर अपील आदेश के जरिये रेस्टोर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश लोक अदालत कैम्प में पारित किया है। जबकि लोक अदालत में दोनो पक्षकारो को आपसी सहमति से मुकदमो का निस्तारण किया जाने का प्रावधान है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट को बिना सुने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली लोक अदालत कैम्प में नियत की गई, किन्तु इस बाबत अपीलांट को न तो कोई नोटिस दिया गया एवं नही अपीलांट का सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प मे जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया, जो मुकदमा शहादत वादी में चल रहा था एवं अपीलांट द्वारा गवाह भी पेश कर दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उक्त वाद को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जिस पर अपीलांट ने एक आवेदन वाद को रेस्टोर करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायायल ने जैर अपील आदेश के जरिये खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज होने के करीब 1/2 वर्ष पश्चात रेस्टोर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया एवं न ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोर प्रार्थना पत्र जैर अपील आदेश के जरिये म्याद बाहर होने से खारिज किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया, जो मुकदमा शहादत वादी में चल रहा था एवं अपीलांट द्वारा गवाह भी पेश कर दिये थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जिस पर अपीलांट ने एक आवेदन वाद को रेस्टोर करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायायल द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये खारिज कर दिया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा विचारण अपील में जो मुख्य कानूनी बिन्दु उठाये गए है, उनमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही देकर न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा उठाए गए कानूनी बिन्दु का परीक्षण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट्स की तलबी में विचाराधीन था। रेस्पोडेन्टस की तलबी पूर्ण नही थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट होता है रेस्पोडेन्टगणो को राजस्व लोक अदालत में पत्रावली को कार्यवाही हेतु रखे जाने के नोटिस जारी नही किए गए है। बिना सम्मन/नोटिस जारी किए ही पत्रावली को लोक अदालत में रखकर दिनांक 29.06.2016 को निर्णित किया गया है। अब उक्त प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या बिना आपसी सहमति के राजस्व लोक अदालत कैम्प में निर्णय पारित किया जाना उचित है ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are"compromise" and "settelment"The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं

हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सायला द्वारा प्रकरण संख्या 34/2015 बउनवान होकीया बनाम मंछाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर पुन विधिसम्मत आदेश पारित करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली